दां.प्र.क्र.–758/22 शासन वि० भोजराम जांगड़े

Witness No. 03 for अभियोजन साक्ष्य Deposition taken the 27–02–2025 day of...... Witness's apparentage 42

States of affirmation शपथपूर्वक कथन my name is छबिलाल पटेल

son of श्री चंद्रभान पटेल occupation सहायक जिला आबकारी अधिकारी

address आबकारी वृत्त बिलासपुर पश्चिम, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

समय 02:35 बजे से ।

राज्य द्वारा श्री अरविंद जायसवाल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ।

01– **मै 25–06–2022** को उपनिरीक्षक के पद पर आबकारी वृत्त सक्ती/डभरा/बाराद्वार मे पदस्थ था।

02– **दिनांक 25–06–2022** को हमराह स्टाफ के साथ संयुक्त रोड गस्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की **ग्राम बुंदेली चौकी अड़भार में** अपने कब्जे में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब विक्रय हेतु रखा है। मेरे द्वारा गवाहो के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी०–1** तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा मौके पर गवाहो को उक्त कार्यवाही मे उपस्थित होने हेतु दं.प्र.सं. धारा 160 द०प्र०सं० का नोटिस देकर तलब किया था, जो **प्र०पी०–2** है, जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरे है। मेरे द्वारा उक्त सूचना पर **गवाह ललीत कुमार खुंटे व ललीत यादव** को साथ मे लेकर मौके पर पहुचकर अपनी व अपने स्टाफ की जामा तलाशी दी गयी, जामा तलाशी **प्र०पी०–3** है, जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरे है । जामा तलाशी पश्चात आरोपी के रिहायसी मकान की तलाशी ली गयी, **जिसमे एक 05 लीटर क्षमता के पीले प्लास्टिक जरिकेन मे भरी 04 लीटर तरल द्रव जप्त किया गया, तलाशी पंचनामा प्र०पी०–4 है,** जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरे है।

03– मेरे द्वारा मौके पर जप्तशुदा शराब का जांच किया गया, जांच पंचनामा **प्र०पी० 5** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा उक्त शराब को मौके पर जप्त किया गया, जप्ती पत्रक **प्र०पी०–6** है, जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरे है। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०–7** है, जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरे है । मेरे द्वारा मौके पर घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र०पी०–8** तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा आरोपी के आधिपत्य के संबंध में मकान आधिपत्य पंचनामा **प्र०पी० 09** तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हूॅ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री अरविंद भारद्वाज अधि. उप.//

04– यह कहना सही है कि गस्त हेतु हम लोग कौन से वाहन क्र. मे गये थे, उसका उल्लेख मैने नही किया है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा महुआ शराब को कहा रखा गया है इसका उल्लेख मैने नही किया है। यह कहना गलत है कि मेने आरोपी से किसी प्रकार की शराब की जप्ती नही की है। यह कहना गलत है कि मैने जप्ती गवाहो को जप्ती के संबंध में नही बताया था, खाली कोरा कागज पर उनका हस्ताक्षर लिया था। यह कहना गलत है कि मैने गवाह को धारा 160 का नोटिस नही दिया था। यह कहना गलत है कि मैने नजरी नक्शा अपने मन से तैयार किया है।

05– यह कहना गलत है कि गवाहो से मैने उसका बयान नही लिया है। यह कहना गलत है कि गवाहो के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नही किया हूॅ। यह कहना गलत है कि गवाहो के बयान एवं समस्त प्रदर्शित दस्तावेजो को गवाहो को पढकर नही सुनाया हूॅ ।

06– यह कहना गलत है कि मैने सभी कार्यवाही अपने आबकारी वृत्त मे बैठकर किया है । यह कहना गलत है कि मैने सभी कार्यवाही मैने अभियुक्त को प्रकरण मे संलिप्त करने हेतु जानबुझकर किया है । यह कहना गलत है कि मै आरोपी के विरूद्ध झुठा प्रकरण तैयार कर न्यायालय मे पेश किया हूॅ ।

समाप्ति समय 02:40 बजे।

वाचित सहित स्वीकृत।	मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–	सही/–
सुश्री शुभदा गोयल	सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)